



Neutral Citation No. - 2026:AHC:11145

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 925 वर्ष 2026

हरनाम सिंह बूंदेलाआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : शांतनु, विक्रम सिंह श्रीवास्तव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री शिवम श्रीवास्तव, अधिवक्ता जो श्री शांतनु, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित हैं, श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 54 वर्ष 2025, धाराओं 115(2), 352, 351(3), 117(2), 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - बालाबेहट, जिला - ललितपुर में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त अजय को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 399 वर्ष 2026 में दिनांक 12.01.2026 को पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः चूँकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 25.08.2025 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।



5. जमानत की प्रार्थना का सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समता के उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलू को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है।
6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 CrI.L.J. 938** में पारित निर्णय और उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021** तथा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णयों के प्रकाश में, न्यायालय इस मत का है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन समता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
7. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - **हरनाम सिंह बुंदेला** को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

16 जनवरी, 2026

(रवि कांत)